

हरियाणा सरकार

ग्रामिण विकास एवं पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जुलाई, 1991

संख्या सांका०नि० 48.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 209 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा विकास तथा पंचायत विभाग (ग्रुप क) सेवा (प्रथम (संशोधन) नियम, 1991, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग (ग्रुप क) नियम, 1988 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, खंड च के बाद, अन्त में निम्नलिखित खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

“(छ) उप-निदेशक पंचायत (विधिक) की दशा में :—

- (i) विकास एवं पंचायत विभाग में कार्य कर रहे विधिक अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा;
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।”।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट (क) में, क्रम संख्या 6 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
“7.	उप-निदेशक पंचायत (विधिक)	1	..	1	2000- 60- 2,300-75- 2,900द० र०-100- 3,500 रूपए।”।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट (ख) में क्रम संख्या 6 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4
“7.	उप-निदेशक पंचायत (विधिक)		(1) विधिक अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। (2) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।”।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट (ग), में खाना 1 तथा 2, के नीचे क्रम संख्या 6 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2
---	---

“7. उप-निदेशक पंचायत (विधिक)।”।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट (घ), में, खाना 1 तथा 2 के नीचे क्रम संख्या 6 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2
---	---

“7. उप-निदेशक पंचायत (विधिक)।”।

बी०डी० ढालिया,

सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास एवं
पंचायत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 25th July, 1991

No. GSR 48/29/Const./Art 309.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Development and Panchayats Department (Group A) Service Rules, 1988, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Development and Panchayats Department (Group A) Service (First Amendment) Rules, 1991.

2. In the Haryana Development and Panchayats Department (Group A) Service Rules, 1988 (hereinafter called the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be added at the end, namely :—

“(g) in case of Deputy Director, Panchayats (Legal) :—

- (i) by promotion from amongst Legal Officers, working in the Development and Panchayats Department ; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.”.

3. In the said rules, in Appendix ‘A’ after serial number 6 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2	3	4	5	6
“7.	Deputy Director, Panchayats (Legal)	1	..	1	2000- 60- 2,300-75- 2,900-EB-100- 3,500.”.

4. In the said rules in Appendix ‘B’, after serial number 6 and entries there against, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2	3	4
“7.	Deputy Director, Panchayats (Legal)		(1) Five years experience as Legal Officer (2) Knowledge of Hindi upto Matric standard.”.

5. In the said rules, in Appendix 'C', under columns 1 and 2, after serial number 6 and entries there against, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2
"7.	Deputy Director, Panchayats (Legal). "

6. In the said rules, in Appendix 'D', under columns 1 and 2, after serial number 6 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely :—

1	2
"7.	Deputy Director, Panchayats (Legal) "

B. D. DHALIA,
Secretary to Government, Haryana,
Rural Development and Panchayats Department.